न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/19/2017	2017/00286	06.09.2017	23.12.2025

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी, जिला अलवर।

——अपीलाण्ट

बनाम

1.गोकुल पुत्र भौंरा, जाति मीणा, निवासी, ग्राम खरखडा, तहसील रैणी, जिला अलवर।

——रैस्पाडैन्ट

अपील निर्णय विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी नामांतकरण संख्या 322 दिनांक 03.11.2015 को गलत तौर से रेस्पोडेंट गोकुल के नाम आराजी खसरा न0 42 रकबा 12 ऐयर, 43 रकबा 12 ऐयर, 53/422 रकबा 22 ऐयर, 53/423 रकबा 70 ऐयर कुल किता 04 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम खरखडा तहसील रैणी का बेजा तौर से स्वीकार किया गया बेमुराद मनसुखी आज्ञा अदालत मातहत व मंजूर फरमाये जाने अपील।

उपस्थितः—

01. श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक) —वकील अपीलाण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 322 दिनांक 03.11.2015 से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 03.11.2025 विधि व न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के एकदम विपरीत है कि जिससे आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 03.11.2015 के विरूद्ध है कि जिससे अपील न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अपील राजस्थान सरकार के द्वारा पेश की जा रही है जिससे अपील बिना शुल्क के पेश है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से रेस्पोडेण्ट गोकुल के नाम इन्तकाल संख्या 322 दिनांक 03.11.2015 को आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 12 ऐयर, 43 रकबा 12 ऐयर, 53/422 रकबा 22 ऐयर, 53/423 रकबा 70 ऐयर वाके ग्राम खरखडा तहसील रैणी जिला अलवर का स्वीकार किया है जबकि नामान्तकरण गैर खातेदारी से खातेदारी जॉच हेतु पटवारी द्वारा पेश हुआ। टी.डी.आर. साहब रैणी द्वारा खातेदारी आदेश देने से पूर्व आई.एल.आर. पाटन से जाँच नहीं करवाने के कारण खातेदारी इन्तकाल की जॉच हेतु तहसीलदार स्थित पत्रावली का अवलोकन दिनांक 23.10.2015 को पाक्षिक मिटिंग को ओके ऑफिस में किया गया पत्रावली में पटवारी द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट आवंटन भूमि पर काश्त करना नही बताकर पशुओ के चराने काम आना बताया है जो आवंटन की शर्तों के विपरीत है पत्रावली में संलग्न पट्टे की फोटो प्रति में साबिक खसरा नम्बर 231/12 रकबा 05 बीधा है आवंटन सन् 1975 का है जो बन्दोबस्त के पूर्व का है आवंटी है। हाल खसरा नम्बर 42, 43, 53/422, 53/423 है जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 के मिलान करने पर पाया कि हाल खसरा नम्बर आवटित्त साबिक खसरा नम्बर 231/12 से नही बने है हाल खसरा नम्बर 42, 43, साबिक खसरा नम्बर 231/2 से एवं 53/422, 53/423, साबिक खसरा नम्बर 231/3 से बने है। अतः सक्षम न्यायालय से आवटित खसरा नम्बर 231/12 से हाल खसरा नम्बर का मिलान नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट गोकुल ग्राम खरखडा का रहने वाला है भूमि साबिक खसरा नम्बर 231 वक्त आवंटन गैर मुमकिन पहाड दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

था। जब तक किस्म परिवर्तन ना हो तब तक आवटन नहीं किया जा सकता इस बाबत आई.एल. आर. की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2015 स्पष्ट रूप से इन्तकाल संख्या 322 पर नोट लगा हुआ था मगर इसके बावजुद भी तहसीलदार साहब रैणी ने गलत तौर से दिनांक 03.11.2015 को इन्तकाल स्वीकार करने में भारी कानूनी गलती की है कि जिससे आज्ञा तहसीलदार साहब रैणी निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार साहब रैणी ने दिनांक 03.11.2015 को इन्तकाल स्वीकार करते समय इन्तकाल पर लगे नोट को कतई तौर से गौर नही किया और अपनी मनमानी कर इन्तकाल स्वीकार करने में भारी गलती की है। तहसीलदार साहब रैणी ने मिलान क्षेत्रफल पर भी कतई गौर नही किया जबकि उक्त हाल खसरा नम्बर 42, 43, 53/422, 53/423 साबिक खसरा नम्बर 231/12 से कतई मेल नहीं खाते है जिससे भी आज्ञा तहसीलदार साहब रैणी निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह साबित था कि उक्त खसरा नम्बर हाल पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा नहीं है बल्कि उक्त भूमि पशु चराने के काम में आती है। तहसीलदार रैणी इन्तकाल दर्ज करते समय ना तो पत्रावली का अवलोकन किया गया ना ही रिकॉर्ड का अवलोकन किया और ना ही इन्तकाल के नियमो को सही प्रकार से पढ़ा व इन्तकाल संख्या 322 स्वीकार करने में भारी कानूनी गलती की है कि जिससे आज्ञा दिनांक 03.11.2015 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय दिनांक 23.11.2015 को पारित किया गया है मगर राज कार्य में व्यस्त होने की वजह से निर्णय की नकल दिनांक 28.08.2017 को प्राप्त की गई है कि जिससे यह अपील बिना किसी देरी के श्रीमान की सेवा में पेश की जा रही है अपील पेश करने में जो देरी उक्त कारण से हुई है वह काबिल मुआफी है व अपील को अन्दर अवधि समाअत माना जाकर सुना जावे जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 जा०दी० अलग से पेश किया जा रहा है। शेष वजूहात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे। अतः श्रीमान की सेवा में यह अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा तहसीलदार साहब रैणी दिनांक 03.11.2015 निरस्त फरमाई जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपील राजस्थान सरकार (अपीलांट) द्वारा तहसीलदार रैणी के उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें नामांतकरण संख्या 322 दिनांक 03.11.2015 को स्वीकार कर प्रतिवादी गोकुल को खातेदारी अधिकार दिए गए थे। मुख्य विवाद ग्राम खरखड़ा की आराजी खसरा नंबर 42,43, 53/422, 53/423 (कुल रकबा 1.16 हेक्टेयर लगभग) के नामांतकरण संख्या 322 को लेकर है।

अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) ने तथ्यों और राजस्व नियमों की अनदेखी करते हुए गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्रदान किए हैं। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित साबिक खसरा नंबर 231/12 से वर्तमान खसरा नंबरों (42,43,53/422,53/423) का मिलान नहीं होता है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये नए खसरा नंबर साबिक नंबर 231/2 और 231/3 से बने हैं, न कि आवंटित नंबर 231/12 से। आवंटन के समय भूमि गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज थी। नियमानुसार, जब तक भूमि की किस्म में विधिवत परिवर्तन न हो, आवंटन वैध नहीं माना जा सकता। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी उक्त भूमि पर स्वयं काश्त (खेती) नहीं कर रहा है, बल्कि भूमि का उपयोग पशु चराने के लिए हो रहा है, जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। आई.एल.आर. पाटन की जांच रिपोर्ट और नामांतकरण पर लगे आपत्तियों वाले नोट को तहसीलदार ने बिना गौर किए दरकिनार कर दिया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/चिन्तन–मनन किया गया। पत्रावली पर आये तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहसीलदार रैणी ने नामांतकरण स्वीकार करते समय मिलान क्षेत्रफल की गंभीर तकनीकी त्रुटि की है क्यूंकि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित साबिक खसरा नंबर 231/12 से वर्तमान खसरा नंबरों (42,43,53/422,53/423) का मिलान नहीं होता है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये नए खसरा नंबर साबिक नंबर 231/2 और 231/3 से बने हैं, न कि आवंटित नंबर 231/12 से। आवंटन की शर्तों और भूमि की किस्म (गैर मुमकिन पहाड़) के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किए बिना आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं है। गैरमुमकिन पहाड/नदी/नाला/इत्यादि भूमि के आवंटन हेतु सर्वप्रथम भूमि की किस्म को विधिवत परिवर्तित करवाया जाना आवश्यक है बिना किस्म परिवर्तन के इस प्रकार की भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध है। राजस्व अभिलेखों में विरोधाभास होने के कारण यह नामांतकरण संख्या 322 दिनांक 03.11.2015 विधि विरुद्ध प्रतीत होता है। अतः न्यायोचित आधारों पर अपीलान्ट की अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रैणी द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 322 दिनांक 03.11.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार अलवर (द्वितीय)